रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24052022-236001
SG-DL-E-24052022-236001

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]	दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2022/ज्येष्ठ 3, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 82
No. 288]	DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2022/JYAISHTHA 3, 1944	[N. C. T. D. No. 82

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मई, 2022

सं0 फा0 2(17)/आरआर/2010/एस–IV/780.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा0 .27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय–समय पर यथा संशोधित दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियम, 1967 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा नियम, 2022 कहा जाए।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:

(क) ''उपराज्यपाल'' का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है।

(ख) ग्रेड– I और ग्रेड– II के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का अभिप्राय ''मुख्य सचिव'' और ग्रेड– III और ग्रेड– IV के संबंध में, इन नियमों के प्रयोजनार्थ के लिए संबंधित ''विभागाध्यक्ष'' से है।

(ग) ''मुख्य सचिव'' का अभिप्राय मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है।

(घ) 'आयोग' का अभिप्राय संघ लोक सेवा आयोग से है।

(ङ) ''संवर्ग'' का अभिप्राय अनुसूची– I में निर्दिष्ट सेवा के चार ग्रेडों के पदों के समूह से है।

(च) सेवा के किसी भी ग्रेड के संबंध में ''संवर्ग अधिकारी'' का अभिप्राय उस ग्रेड की सेवा के सदस्य से है जो नियम 5 या नियम 6 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है।

(छ) ''सीधी भर्ती'' का अभिप्राय दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती से है।

(ज) ''बोर्ड'' का अभिप्राय दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) से है।

(झ) ''ड्यूटी पद'' का अभिप्राय अनुसूची–I में निर्दिष्ट कोई पद और उपराज्यपाल द्वारा ड्यूटी पद के रूप में घोषित कोई अन्य अस्थायी या स्थायी पद से है।

(ञ) ''ग्रेड'' का अभिप्राय नियम 3 में निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड से है।

(ट) 'अनुसूची' का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(ठ) 'सेवा' का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा से है।

(ड) ''सरकार'' का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 239कक के अन्तर्गत इस तरह नामित किया गया है।

(ढ) ''संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण'' का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सेवा विभाग से है।

(ण) सेवा के किसी भी ग्रेड के संबंध में ''सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई)'' का अभिप्राय दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा, जैसा भी मामला हो , संबंधित फीडर ग्रेड में से उस ग्रेड के लिए उम्मीदवारों का चयन करने से है।

(त) ''विभागीय पदोन्नति समिति'' का अभिप्राय अनुसूची– III में यथानिर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में पदोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति से है।

(थ) ''विभागीय स्थाईकरण समिति'' का अभिप्राय अनुसूची– III में यथानिर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में स्थाईकरण पर विचार करने के लिए गठित समिति से है।

(द) किसी भी ग्रेड के संबंध में ''नियमित सेवा'' का अभिप्राय नियमों के अन्तर्गत चयन और नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में सेवा की अवधि से है और इसमें कोई भी अवधि सम्मिलित है -

(i) जो इन नियमों के लागू होने के समय पहले से ही ग्रेड में रहने वालों के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा गया है ।

(ii) जिसके दौरान अधिकारी उस ग्रेड में एक पद पर रहा होगा, लेकिन छुट्टी पर होने या अन्यथा ऐसे पदों पर रहने के लिए उपलब्ध नहीं है ।

(ध) अभिव्यक्ति 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति' और 'अन्य पिछड़ा वर्ग' और 'दिवयांग जन' का वही अभिप्राय होगा जो उन्हें भारत के संविधान/संसद के अधिनियमों में दिया गया है।

3. सेवा का गठन और उसका वर्गीकरण:

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधीनस्थ सरकार सेवा के रूप में जानी जाने वाली एक सेवा का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित चार ग्रेड शामिल हैं, अर्थात्

ग्रेड– I

ग्रेड– II

ग्रेड– III

ग्रेड– IV

(2) ग्रेड– I में पद केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ख', (राजपत्रित) और ग्रेड–II केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ख', (अराजपत्रित) होंगे और ग्रेड– III और IV में केंद्रीय सिविल सेवा समूह–ग (अराजपत्रित) पद होंगे ।

(3) इन नियमों के लागू होने से पूर्व की गई संबंधित समरूप ग्रेड में उप–नियम 3 (1) में यथासंदर्भित अधिकारियों द्वारा नियमित निरंतर सेवा को वरिष्ठता, स्थाईकरण, पदोन्नति , गैर–प्रकार्यात्मक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजनार्थ अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

4. ग्रेड, अधिकृत पदों की संख्या और इसकी समीक्षा:

(1) इन नियमों के लागू होने की तिथि को सेवा में विभिन्न ग्रेडों में पदों, उनकी संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची– I में यथानिर्दिष्ट होगा।

(2) उपराज्यपाल, समय–समय पर, विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों में अस्थायी परिवर्धन या परिवर्तन कर सकते हैं।

5. सेवा के सदस्य:

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात:-

(क) नियम 6 के अर्न्तगत ड्यूटी पदों पर नियुक्त समझे गए व्यक्ति; तथा

(ख) नियम 7 के अर्न्तगत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उप–नियम (1) के खंड (क) के अर्न्तगत नियुक्त व्यक्ति को सेवा के प्रारंभिक गठन की तिथि से उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तिथि से, अनुसूची–I में यथानिर्दिष्ट उसके लिए लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का प्रारंभिक गठन:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा के अधिकारी नियमित आधार पर उस सेवा के विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों को धारण करते हैं या इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर ऐसे पदों पर ग्रहणाधिकार धारण करते हैं, उन्हें सेवा में उचित ड्यूटी पदों और ग्रेडों पर, एक वास्तविक या स्थानापन्न क्षमता में, जैसा भी मामला हो, नियुक्त किया गया माना जाएगा।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण:

(1) नियम 6 के अन्तर्गत सेवा के प्रारंभिक गठन के बाद, अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में रिक्ति को इस नियम में इसके बाद उपबंधित तरीके से भरा जाएगा, अर्थात्: –

(2) (क) ग्रेड– I में सभी रिक्तियों को अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट तरीके से ग्रेड– II के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(ख) (i) ग्रेड– II में रिक्तियों का 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एक परीक्षा के माध्यम से शैक्षिक एवं अन्य योग्यता और आयु सीमा के आधार पर अनुसूची– II में निर्दिष्ट तरीके से भरा जाएगा।

(ii) ग्रेड– II में रिक्तियों के 52 प्रतिशत को सेवा के ग्रेड– III में अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के प्रशिक्षित कानूनगो से अनुसूची– II में निर्दिष्ट तरीके से 'पदोन्नति' द्वारा भरा जाएगा।

(iii) ग्रेड– II में 15 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सेवा के ग्रेड– III में अधिकारियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के प्रशिक्षित कानूनगो से अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से भरे जाएंगे।

(ग) (i) ग्रेड– III में 85 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके से सेवा के ग्रेड– IV अधिकारियों से पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी।

(ii) ग्रेड– III में 15 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अनुसूची– II में निर्दिष्ट तरीके से सेवा के ग्रेड– IV में अधिकारियों से भरे जाएंगे।

(घ)(i) ग्रेड– IV में 85 प्रतिशत रिक्तियों को अनुसूची– II में निर्दिष्ट शैक्षिक और अन्य योग्यताओं एवं आयु सीमा के आधार पर एक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

(ii) ग्रेड– IV में 15 प्रतिशत रिक्तियों को अनुसूची– II में निर्दिष्ट तरीके से वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 1 में समूह 'ग' के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(3) सेवा के किसी भी ग्रेड में पदोन्नति अनुसूची–III के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर चयन के आधार पर होगी।

(4) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और आयु–सीमा अनुसूची– II में यथानिर्दिष्ट होगी।

8. वरिष्ठता :

(1) इन नियमों के लागू होने पर किसी भी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता, इन नियमों के लागू होने की तिथि से पूर्व यथानिर्धारित उनके संबंधित ग्रेड में सापेक्ष वरिष्ठता होगी:

बशर्ते कि यदि सेवा के किसी सदस्य की वरिष्ठता इन नियमों के लागू होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की गई है, तो इसे भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी वरिष्ठता पर सामान्य निर्देशों के अनुसरण में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के लागू होने की तिथि से सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में निर्धारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा:

(1) सेवा में नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी, या तो ग्रेड– II और ग्रेड– IV में सीधी भर्ती द्वारा या ग्रेड– III से ग्रेड– II में पदोन्नति द्वारा, दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा:

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों और निर्देशों के अनुसरण में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है:

आगे यह भी उपबन्धित है कि परिवीक्षा की अवधि के किसी भी विस्तार के लिए कोई निर्णय सामान्यतया पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारण के साथ सेवा के संबंधित सदस्य को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तार के पूर्ण होने पर, सेवा के सदस्य (सदस्यों) को यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति में रखा जाएगा और वास्तविक उपलब्ध रिक्ति के निमित निर्धारित समय में पुष्टि की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो ।

(3) यदि परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, नियुक्ति प्राधिकारी का मत है कि सेवा का कोई सदस्य स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सदस्य को इस विषय पर नियमों के अनुसार संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से सेवामुक्त या सेवा में उनकी नियुक्ति से पहले उनके द्वारा धारित पद पर वापस कर सकता है, जैसा भी मामला हो ।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, सेवा के सदस्यों को इस तरह के प्रशिक्षण और निर्देशों तथा ऐसी परीक्षा एवं परीक्षण (हिन्दी में परीक्षा सहित) को उत्तीर्ण करना अपेक्षित है जैसा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा के संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने की शर्त के रूप में, उचित समझे । परिवीक्षा पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा।

(5) इन नियमों के दायरे में नहीं आने वाले परिवीक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य इस संबंध में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होंगे।

10. सेवा में नियुक्तिः

सेवा में सभी नियुक्तियां सेवा के ग्रेड– I, ग्रेड– II, ग्रेड– III और ग्रेड– IV में की जाएंगी, न कि सेवा में शामिल किसी भी निर्दिष्ट पद के लिए।

11. सेवा के लिए दायित्वः

(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह अवकाश पर न हो या अन्यथा सार्वजनिक सेवा की अनिवार्यता के कारण ड्यूटी पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा सरकार के अंतर्गत सेवा में उपयुक्त श्रेणी के ड्यूटी पद के स्थान पर तैनात किया जाएगा।

(2) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी सेवा के सदस्यों को समय–समय पर सेवा के भीतर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर सकता है।

(3) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, मुख्य सचिव के अनुमोदन से, सरकार के विभिन्न कार्यालयों में समय–समय पर आवश्यक समझे जाने वाले ड्यूटी पदों की उचित संख्या आवंटित करेगा।

(4) मुख्य सचिव, समय – समय पर उनके द्वारा जारी किए जा सकने वाले अनुदेशों के अधीन संवर्ग अधिकारियों की सेवाओ को समय – समय पर निमित्त ड्यूटी पदो पर पदस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विभागाध्यक्षों के निस्तारण पर तैनात करेगा।

12. अयोग्यताः

कोई भी व्यक्ति ,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए उससे विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

सेवा के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

13. **सेवा तथा पेंशन की अन्य शर्तें** :– उन मामलों के संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई निर्दिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वही होंगी जो केन्द्र सरकार में समकक्ष रैंक के अधिकारियों के लिए समय–समय पर लागू होती हैं ।

14. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां उपराज्यपाल का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकते हैं।

15. **बचावः**— इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), दिव्यांगजनों , भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. **व्याख्या** :— यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

अनुसूची– I

[देखें नियम 3 और नियम 4 (1)]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा के विभिन्न ग्रेडों में ग्रेड, वर्गीकरण, पदनाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तर तथा ड्यूटी पदों की संख्या

क्र.सं.	सेवा के ग्रेड और वर्गीकरण	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या*
1.	ग्रेड– I (केंद्रीय सिविल सेवा, अनुसचिवीय, राजपत्रित, समूह–ख)	अनुभाग अधिकारी सहित नि॰स॰ मुख्य सचिव, माल एवं सेवा कर अधिकारी, निरीक्षक विधिक माप पद्धति, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, उप पंजीयक, तहसीलदार, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक रोजगार अधिकारी, सहायक मनोरंजन कर अधिकारी, सहायक विलासिता कर अधिकारी, विपणन निरीक्षण अधिकारी (एमआईओ), सहायक आयुक्त, उद्योग, सहायक मुख्य स्टाम्प लेखा परीक्षक (राजस्व), मुख्य निरीक्षक सिविल आपूर्ति , सहायक बिक्री कर अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, कल्याण अधिकारी, सहायक श्रम अधिकारी और मुख्य निरीक्षक, दुकान / निरीक्षक नाप एवं तोल इत्यादि	स्तर –8 (रु. 47600–151100/–) गैर–प्रकार्यात्मक वेतनमानः स्तर –10 (रु. 56100–177500/–) ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर	1636
2	ग्रेड–II (केंद्रीय सिविल सेवा, अनुसचिवीय अराजपत्रित, समूह–ख)	सहायक अनुभाग अधिकारी, माल एवं सेवा कर निरीक्षक, आबकारी एवं मनोरंजन कर निरीक्षक, नायब तहसीलदार, स्टाम्प लेखा परीक्षक, श्रम निरीक्षक, निरीक्षक (नाप एवं तोल), वरिष्ठ निरीक्षक, लेखा परीक्षक, निरीक्षक (विपणन), सहायक निरीक्षक स्थानीय कार्यालय / सहायक निरीक्षक स्थानीय निधि, अधीक्षक / सहायक अधीक्षक / सहायक	स्तर –7 (रु. 44900–142400/–)	2365

		अनुभाग अधिकारी / आंतरिक लेखा परीक्षक /निरीक्षक मुख्यालय एवं संबद्ध पदों, प्रमुख पेशी लिपिक, शाखा प्रभारी (डीसी कार्यालय), उप रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निरीक्षक / लेखा परीक्षक, संपदा प्रबंधक, निरीक्षक नागरिक आपूर्ति, सहायक प्रबंधक एम्पोरियम, निरीक्षक उद्योग /भूमि / ऋण / लोहा और इस्पात, अनुसंधान सहायक, औद्योगिक निरीक्षक, निरीक्षक (हरिजन कल्याण), पंचायत निरीक्षक, निरीक्षक शिकायत /प्रैस इत्यादि		
3	ग्रेड– III (केंद्रीय सिविल सेवा, अनुसचिवीय अराजपत्रित, समूह–ग	वरिष्ठ सहायक, रीडर (राजस्व), उप–निरीक्षक (आबकारी), उप–निरीक्षक (आरसीएस), उप–निरीक्षक (डब्ल्यू एंड एम), उप–निरीक्षक (श्रम) , सहायक लेखा परीक्षक, लेखाकार सहायक अधीक्षक / प्रधान लिपिक / सहायक प्रभारी / लिपिक प्रभारी / सहायक/ लेखाकार लेखा परीक्षक /वरिष्ठ सहायक और संबद्ध पद, लेखा परीक्षक / निरीक्षक / मूल्यांकन सहायक, दुकान और स्थापना के निरीक्षक, श्रम कल्याण पर्यवेक्षक, सहायक निरीक्षक माप एवं तोल /ब्लॉक स्तरीय विस्तार अधिकारी /सहायक ग्राम इकाई संगठन इत्यादि	स्तर–4 (रु. 25500–81100 /–) गैर–प्रकार्यात्मक चयन ग्रेडः स्तर –6 (रु. 35400–112400 /–) ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर इस शर्त के अधीन कि ग्रेड में कुल संख्या का स्वीकृत संख्या बल का 30 प्रतिशत तक सीमित होगा।	4202
4	ग्रेड– IV (केंद्रीय सिविल सेवा, अनुसचिवीय अराजपत्रित, समूह–ग)	रीडर, उप निरीक्षक (आबकारी), कनिष्ठ ऑडिटर, पंचायत सचिव, कनिष्ठ सहायक / स्टेनो टाइपिस्ट और सभी संबद्ध पद, उप निरीक्षक / ऑर्गनाइजर / कनिष्ठ लेखा परीक्षक, सेल्समैन , इत्यादि	स्तर –2 (रु. 19900–63200 /–)	4245

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।

अनुलग्नक- I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत विभागों में सृजित विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत पदों का विभागवार विवरण।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत संख्याबल			
		ग्रेड–I	ग्रेड– II	ग्रेड– III	ग्रेड– IV
1.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल	1	2	2	1
2.	अरुणा आसफ अली अस्पताल	0	1	6	12
3.	आचार्य भिक्षु अस्पताल	1	1	2	5
4.	प्रशासनिक सुधार विभाग	1	0	0	2
5.	अम्बेडकर तकनीकी संस्थान	1	2	6	9
6.	पुरातत्व	0	1	2	2
7.	अभिलेखागार	0	1	3	3
8.	कला, संस्कृति एवं भाषा	0	0	0	0
9.	अतर सेन अस्पताल	0	0	1	2
10.	लेखा परीक्षा	1	27	47	17
11.	बाबू जगजीवन राम अस्पताल	1	1	6	10
12.	भगवान महावीर अस्पताल	1	1	3	6
13.	बी.आर.सुर (होम्यो) मेडिकल कॉलेज/अस्पताल	1	1	4	5
14.	बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल एवं कॉलेज	4	3	16	20
15.	चौधरी ब्रह्म प्रकाश सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जाफरपुर	1	2	6	11
16.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	80	72	96	102
17.	वन एवं वन्य जीव	4	3	11	11
18.	चिट फंड	2	1	4	2
19.	सेंट्रल जेल	15	28	57	79
20.	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	1	2	6	5
21.	कला महाविद्यालय	1	3	6	7
22.	दिव्यांगजन आयोग	1	0	0	1
23.	सहकारी समितियाँ	3	39	73	142
24.	दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय /मातृ एवं बाल अस्पताल, नसीरपुर	1	2	2	3
25.	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड	1	1	12	6
26.	दीपचन्द बन्धु अस्पताल	1	1	3	5
27.	नागरिक सुरक्षा निदेशालय	1	2	13	9
28	मंडलीय आयुक्त कार्यालय	83	109	231	281
29	दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल	3	3	22	23
30	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	1	5	11
31	विकास	3	6	34	34
32	दिल्ली महिला आयोग	1	0	0	6
33	दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग	1	0	0	0
34	दिल्ली अग्निशमन सेवा	0	2	5	31
35	परिवार कल्याण निदेशालय	1	1	9	17
36	डॉ0 हेडगेवार आरोग्य संस्थान	1	1	3	7
37	होमगार्ड निदेशालय	1	1	10	13
38	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	1	21	52	59
39	सूचना एवं प्रचार निदेशालय	1	4	1	15
40	आयुष्य निदेशालय	0	3	4	0
41	दिल्ली फार्मेसी, विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान	2	1	3	3
42	दिल्ली लॉटरी	0	0	0	8
43	निदेशालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	1	0	0	15
44,	दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग	0	2	1	2

45,	सर्तकता निदेशलय	2	8	2	10
46	औषधि नियंत्रण	0	4	13	12
47	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निदेशालय	2	6	10	13
48	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ अल्पसंख्यक आयोग	1	0	0	0
49	दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	10	17	20	30
50	समाज कल्याण निदेशालय	4	7	72	59
51	व्यापार एवं कर विभाग	149	129	221	299
52	शिक्षा निदेशालय	945	912	1408	755
53	रोजगार	24	12	29	132
54	पर्यावरण विभाग	1	2	3	2
55	पर्यावरण (बागवानी)	0	1	4	0
56	आबकारी	5	37	54	28
57.	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	84	324	133	281
58.	खाद्य सुरक्षा विभाग	1	3	26	13
59.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला	2	4	7	17
60.	सामान्य प्रशासन विभाग	25	78	72	121
61.	जी.बी. पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ओखला	1	2	6	11
62.	गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल	1	5	29	44
63.	गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल	1	1	4	7
64.	गुरु नानक नेत्र चिकित्सा केंद्र	1	1	8	17
65.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल	4	7	53	58
66.	गुरुद्वारा निर्वाचन निदेशालय	0	1	3	4
67.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6	11	21	30
68.	स्वास्थ्य केंद्र–सह–प्रसूति अस्पताल	1	1	1	2
69.	उच्च शिक्षा निदेशालय	1	6	6	4
70.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5	15	74	99
71.	उद्योग	19	69	53	51
72.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	3	1	2
73.	जग प्रवेश चंद्र अस्पताल	1	1	3	6
74.	भूमि एवं भवन	6	24	24	52
75.	विधि ,न्याय एवं विधायी कार्य	2	4	6	10
76.	श्रम विभाग	5	46	52	65
77.	विधानसभा सचिवालय	1	8	12	19
78.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	1	1	7	12
79.	उपराज्यपाल सचिवालय	10	17	13	10
80.	लोक नायक अस्पताल	8	7	42	99
81.	लोकायुक्त	1	2	2	3
82.	मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज	1	7	37	48
83.	महर्षि बाल्मीकि अस्पताल	1	1	5	8
84.	मदन मोहन मालवीय अस्पताल	1	1	3	10
85.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	1	15	71	69
86.	एन.सी. जोशी अस्पताल	1	1	4	2
87.	नेहरू (होम्यो) मेडिकल कॉलेज/अस्पताल	0	1	5	7
88.	अन्य पिछडा वर्ग आयोग	0	0	0	1
89.	पंचायत निदेशालय	2	10	10	0
90.	प्रधान लेखा कार्यालय	0	95	387	98
91.	जन–शिकायत आयोग	1	1	6	3
92.	योजना विभाग	0	3	3	17
93.	ऊर्जा विभाग	0	2	3	2
94.	मद्य निषेध	0	0	2	2
95.	अभियोजन	1	2	2	17
96.	ग्रामीण विकास	1	1	3	4
97.	पुनर्वास	0	4	23	15

98.	राव तुला राम अस्पताल	1	1	5	9
99	राज्य चुनाव आयोग	1	0	0	0
100.	संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल	1	3	10	19
101.	सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल	1	1	3	5
102.	सुश्रुत ट्रामा सेंटर	0	0	2	0
103.	सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	0	0	0	0
104.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	1	1	2	3
105.	परिवहन	11	21	68	184
106.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	27	8	149	181
107.	पर्यटन विभाग	1	1	1	1
108.	शहरी विकास (स्थानीय निकाय निदेशालय)	6	5	4	0
109.	शहरी विकास	2	30	15	24
110.	संघ क्षेत्र सिविल सेवाएं	2	2	8	8
111.	महिला एवं बाल विकास	5	7	72	114
112.	माप एवं तोल	12	13	38	15
	कुल	1636	2365	4202	4245

अनुसूची– II

[देखें नियम 7] ,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा में ड्यूटी पदों पर अधिकारियों की भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र और पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए तत्काल निम्न ग्रेड या निम्न ग्रेडों में न्यूनतम अर्हक सेवा।

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती की पद्धति	चयन के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्रेड– I	चयन के आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।	सेवा के ग्रेड–II अधिकारियों से जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर –7 (रु.44900–142400/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत छह वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।
2	ग्रेड– II	(i) 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 52 प्रतिशत चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा (iii) 15 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा(एलडीसीई)	(i) सीधी भर्ती : अनिवार्य योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उपाधि । नोट 1:– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताए सक्षम प्राधिकारी/ डीएसएसएसबी के विवेक पर कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए शिथिलनीय हैं। आयु सीमा 21 – 30 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट 2: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। (ii) पदोन्नति: सेवा के ग्रेड – III अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगो से जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (रुपये 25500–81100/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

			(iii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई): सेवा के ग्रेड – III अधिकारियों एवं राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशिक्षित कानूनगोए जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (रुपये 25500–81100/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके होंए ग्रेड – II में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।
3	ग्रेड– III	(i) 85 प्रतिशत चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा (ii) 15 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा	(i) पदोन्नतिः सेवा के ग्रेड – IV अधिकारियों से जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर –2 (रु. 19900–63200/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई): सेवा के ग्रेड – IV अधिकारियोंए जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (रु 19900–63200/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके होंए ग्रेड – III में पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे।
4	ग्रेड– IV	(i) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 15 प्रतिशत चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा	(i)सीधी भर्तीः क. शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं– अनिवार्य योग्यताः (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । नोट 1:– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताए सक्षम प्राधिकारी/डीएसएसएसबी के विवेक पर कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए शिथिलनीय हैं। आयु सीमा : 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट 2: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी)/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। (ii) पदोन्नतिः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समूह – ग कर्मचारी से जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर –1 (रुपये 18000–56900/–) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक/बाहरवी कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता रखते हों। . नोट –1: इस पद्धति से चयनित उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकन गति उत्तीर्ण करनी होगी (35 शब्द

			प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट 10,500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के अनुरूप प्रत्येक शब्द के लिए 05 की (झमल) दबाने के औसत पर) जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा छूट न दी गई हो। नोट –2: दिव्यांगजनोंए जो अन्यथा उपरोक्त पद धारण करने के लिए योग्य हैं और जिन्हें समय–समय पर जारी भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों के अनुसरण में निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक अक्षमता के कारण टाइप करने में असमर्थ होने के रूप में प्रमाणित किया गया हैए के लिए टाइपराइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता शिथिलनीय हैं।

टीप –I – सेवा के ग्रेड– II और ग्रेड– IV के पद पर सीधी भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा डीएसएसएसबी द्वारा ऐसे अंतराल पर आयोजित की जाएगी जैसा मुख्य सचिव समय–समय पर निर्धारित करें। इस संबंध में परीक्षा आयोजित की जानी वाली तिथियों एवं स्थानों को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

टीप –II – पदोन्नति के लिए किसी भी अधिकारी की पात्रता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि उस वर्ष की 1 जनवरी होगी जिसमें रिक्ति हुई है।

टीप–III – किसी भी उम्मीदवार को सेवा के ग्रेड– II और ग्रेड– IV के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी चिकित्सा परीक्षा के बाद स्वस्थ घोषित न किया गया हो तथा उसकी आरंभिक नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के पश्चात उसे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त और स्वस्थ घोषित न किया गया हो।

टीप– IV – अनुमोदित सूचियों में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल करने से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे, कि उम्मीदवार संबंधित ग्रेड में नियुक्ति के लिए सभी तरह से उपयुक्त है और उम्मीदवार को नियुक्ति का वास्तविक प्रस्ताव दिया जाता है।

टीप– V – इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, ग्रेड– II और ग्रेड– IV के लिए अनुमोदित सूचियों में शामिल उम्मीदवारों को योग्यता क्रम में इन ग्रेडों में नियुक्त किया जाएगा।

टीप– VI – सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) **दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड** या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य भर्ती एजेंसी द्वारा, इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसरण में, आयोजित की जाएगी।

टीप–VII – इन नियमों में निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) की तिथि, स्थान और तरीका ऐसा होगा जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अनुसूची– III

[देखें नियम 7 (3)]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधीनस्थ सेवा में ड्यूटी पदों पर पदोन्नति या स्थाईकरण के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय समितियां

क्रम संख्या	ग्रेड	पदोन्नति / स्थाईकरण पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति /विभागीय स्थाईकरण समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	ग्रेड –I	विभागीय पदोन्नति समिति 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सेवाएं) – अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त – सदस्य 3. विशेष सचिव (वित्त) – सदस्य
2.	ग्रेड – II	विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय स्थाईकरण समिति 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0) – अध्यक्ष 2. विशेष सचिव (सेवाएं) – सदस्य 3. विशेष सचिव (गृह) – सदस्य
3.	ग्रेड – III	विभागीय पदोन्नति समिति 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (शहरी विकास) – अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव /उप सचिव (सेवाएं) – सदस्य

		3. विशेष सचिव/अपर सचिव /संयुक्त सचिव / उप सचिव (लो0नि0वि0) – सदस्य
4.	ग्रेड – IV	विभागीय पदोन्नति समिति एवं विभागीय स्थाईकरण समिति 1. सचिव (प्रशा0सु0) – अध्यक्ष 2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव /उप सचिव (सेवाएं) – सदस्य 3. विशेष सचिव /अपर सचिव /संयुक्त सचिव / उप सचिव (लो0नि0वि0) – सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नवीन एस एल, विशेष सचिव (सेवाएं)

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th May, 2022

No. F. 2(17)/RR/2010/S-IV/780.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of the Delhi Administration Subordinate Service Rules, 1967, as amended from time to time, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules, namely: -

1. Short title and Commencement:

(i) These rules may be called the Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

(a) "Lt. Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 of the Constitution.

(b) "Appointing authority" in relation to Grade-I and Grade-II means the "Chief Secretary" and in relation to Grade-III and Grade-IV, the "Heads of Department" concerned for the purposes of these rules.

(c) "Chief Secretary" means the Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi.

(d) 'Commission' means the Union Public Service Commission.

(e) "Cadre" means the group of posts of the four grades of service specified in Schedule-I.

(f) "Cadre Officer" in relation to any grade of the service means a member of the service of that grade who is appointed under rule 5 or rule 6.

(g) "Direct Recruitment" means recruitment through competitive examination held by Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB).

(h) "Board" means the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB).

(i) "Duty post" means any post specified in Schedule-I and any other temporary or permanent post declared as duty post by the Lt. Governor.

(j) "Grade" means any of the grades specified in rule 3.

(k) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules.

(l) 'Service' means the Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service.

(m) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of the Constitution.

(n) "Cadre Controlling Authority" means the Services Department of the Government of NCT of Delhi.

(o) "Limited Departmental Competitive Examination (LDCE)" in respect of any grade of the service means a competitive examination held by the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) or any other recruiting agency approved by the government, as the case may be, to select candidates for that grade from amongst the respective feeder grades.

(p) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion in any grade as specified in Schedule-III.

(q) "Departmental Confirmation Committee" means a Committee constituted to consider confirmation in any grade as specified in Schedule-III.

(r) "Regular service" in relation to any grade means the period of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the rules and includes any period-

(i) Taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in the grade at the time of commencement of these rules;

(ii) During which the officer would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.

(s) The expression 'Scheduled Castes', 'Scheduled Tribe' and 'Other Backward Classes' and 'Persons with disabilities' shall have the same meaning as assigned to them in the Constitution of India/ Acts of Parliament.

3. Constitution of Service and its Classification:

(1) There stands constituted a service known as Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service, consisting of following four grades, namely:

Grade-I

Grade-II

Grade-III

Grade-IV

(2) The posts in Grade-I shall be Central Civil Service Group 'B', (Gazetted) and Grade-II shall be Central Civil Service Group 'B', (Non-Gazetted) and those in Grades- III and IV shall be Central Civil Service Group-'C' (Non-Gazetted).

(3) The regular continuous service by the officers, as referred to in sub-rule 3(1) in the respective corresponding grades, rendered prior to commencement of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional upgradation and pension.

4. Grades, authorized strength and its review:

(1) On the date of commencement of these rules, the posts in various grades in the service, their numbers and level in pay matrix shall be as specified in Schedule-I.

(2) The Lt. Governor may, from time to time, make temporary additions or alterations to the duty posts in various grades.

5. Members of the Service:

(1) The following persons shall be the members of the Service, namely:—

(a) Persons deemed to have been appointed to duty posts under rule 6; and

(b) Persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall be deemed to be a member of service in the appropriate grade applicable to him from the date of initial constitution of the service.

(3) A person appointed under clause (b) of the sub-rule (1) shall be a member of service in the appropriate grade applicable to him, as specified in Schedule I, from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service:

The officers of the Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service holding duty posts in various grades of that Service on regular basis or holding lien on such posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the appropriate duty posts and grades in the Service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. Future Maintenance of Service.-

(1) After the initial Constitution of Service under Rule-6, vacancy in any of the grades specified in Schedule I shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule, namely:-

(2) (a) All Vacancies in Grade-I shall be filled by promotion of officers of Grade-II in the manner specified in Schedule-II.

(b) (i) 33% of the vacancies in Grade-II shall be filled by direct recruitment through an examination on the basis of educational and other qualifications and age limit in the manner specified in Schedule-II.

(ii) 52% of the vacancies in Grade-II shall be filled by 'promotion' from officers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenue department of GNCT of Delhi in the manner specified in Schedule-II.

(iii) 15% of the posts in Grade-II shall be filled by Limited Departmental Competitive Exam from officers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenue department of GNCT of Delhi in the manner specified in Schedule-II.

(c) (i) 85% vacancies in the Grade-III shall be filled by promotion from Grade-IV officials of the service in the manner specified in Schedule-II.

(ii) 15% of the posts in Grade-III shall be filled by Limited Departmental Competitive Exam from officers in Grade-IV of the Service, in the manner specified in Schedule-II.

(d) (i) 85% of the vacancies in the Grade-IV shall be filled by direct recruitment through an examination on the basis of educational and other qualifications and age limit specified in Schedule-II.

(ii) 15% of the vacancies in the Grade-IV shall be filled by promotion from Group C employees in Level- 1 of the pay matrix in the manner specified in Schedule-II.

(3) The promotion to any grade of the service shall be on selection basis on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted for this purpose in accordance with Schedule- III.

(4) Essential educational qualification and age-limit of a candidate for appointment to the service by direct recruitment shall be as specified in Schedule- II.

8. Seniority:

(1) The relative seniority of members of the Service, appointed to any grade, on commencement of these rules, shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service has not been determined before the date of commencement of these rules, the same shall be determined by the Government/ Competent Authority in accordance with the general instructions on seniority issued by the Government of India from time to time.

(2) The seniority of person appointed to various grades of the Service on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Government of India from time to time.

9. Probation:

(1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment in the Grade-II and Grade-IV or by promotion from Grade-III to Grade-II, shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Appointing Authority may extend the period of probation in accordance with the orders and instructions issued by the Government of India from time to time:

Provided further that any decision for any extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned member of service together with the reason for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or an extension thereof, member(s) of service if considered fit for the permanent appointment, shall be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the substantive available vacancy, as the case may be.

(3) If during the period of probation or extension thereof, as the case may be, the Appointing Authority is of the opinion that a member of the service is not fit for permanent appointment, the Appointing Authority may discharge or revert the member of service to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be, in consultation with the Cadre Controlling Authority as per rules on the subject.

(4) During the period of probation or any extension thereof, the members of the Service may be required to undergo such training and instructions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as the Appointing Authority, in consultation with the Cadre Controlling Authority, may deem fit, as a condition to satisfactory completion of probation. Successful completion of training shall be mandatory for completion of Probation.

(5) As regards matters related to probation not covered by these rules, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Government of India from time to time in this regard.

10. Appointment to the Service:

All appointments to the Service shall be made to Grade-I, Grade-II, Grade-III and Grade-IV of the Service and not against any specific post included in the Service.

11. Liability for Service:

(1) Every member of the Service, unless he is on leave or otherwise not available for holding a duty post owing to the exigencies of the public service, be posted against a duty post of the appropriate grade in the Service under the Government by the Cadre Controlling Authority.

(2) The Cadre Controlling Authority may transfer the members of the Service from one office to another office within the service from time to time.

(3) The Cadre Controlling Authority, with the approval of the Chief Secretary shall allocate such number of duty posts to various offices of the Government, as may be deemed necessary from time to time.

(4) The Chief Secretary shall place the services of cadre officer at the disposal of Heads of Departments under Government of NCT of Delhi for being posted against duty posts under them from time to time, subject to such instructions as may be issued by him from time to time.

12. Disqualification:

No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the service.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Other conditions of Service and Pension:

The other conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank in the Central Government.

14. Power to Relax:

Where the Lt. Governor is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section (EWS), Persons with Disabilities, Ex-Servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

16. Interpretation:

If any question arises relating to interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Union Public Service Commission, as the case may be.

SCHEDULE- I

[See rule 3 and rule 4(1)]

The grades, classification, designation, Level in the pay matrix and number of duty posts in the different grades of Government of NCT of Delhi Subordinate Service

S. No.	Grades of the Service and Classification	Designation	Level in the Pay Matrix	Number of Posts*
1.	Grade-I (Central Civil Service, Ministerial, Gazetted, Group-B)	Section Officer including P.A. to the Chief Secretary, Goods & Service Tax Officer, Inspector Legal Metrology, Food & Supply Officer, Sub Registrar, Tehsildar, Assistant Electoral Registration Officer, Public Relation Officer, Administrative Officer, Assistant Employment Officer, Assistant Entertainment Tax Officer, Assistant Luxury Tax Officer, Marketing Inspecting Officer (MIO), Assistant	Level-8 (Rs.47600-151100/-) Non-Functional Scale: Level-10 (Rs.56100-	1636

		Commissioner of Industries, Assistant Chief Stamp Auditor (Revenue), Chief Inspector Civil supplies, Assistant Sales Tax Officer, Block Development Officer, Welfare Officer, Assistant Labour Officer and Chief Inspector of Shops/ Inspector Weights and Measures etc.	177500/-) on completion of 4 years of regular service in the grade.	
2.	Grade-II (Central Civil Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group-B)	Assistant Section Officer, Goods & Service Tax Inspector, Excise and Entertainment Tax Inspector, Naib Tehsildar, Stamp Auditor, Labour Inspector, Inspector (W&M), Senior Inspector, Auditor, Inspector (Marketing), Assistant Inspector Local Offices/ Assistant Inspector Local Funds, Superintendent/ Assistant Superintendent/ Assistant Section Officer/Internal Auditor/Inspector Head Qrs. and allied posts, Head Peshi Clerk, Branch-in-charge (DC Office), Sub-Registrar, Senior Inspector/ Auditor, Estate Manager, Inspector Civil Supplies, Assistant Manager Emporium, Inspector Industries/ Land/ Loan/Iron & Steel, Research Assistant, Industrial Inspector, Inspector (Harijan Welfare), Panchyat Inspector, Inspector complaint/Press etc.	Level-7 (Rs.44900-142400/-)	2365
3.	Grade-III (Central Civil Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group-C)	Senior Assistant, Reader (Revenue), Sub-Inspector (Excise), Sub–Inspector (RCS), Sub-Inspector (W&M), Sub-Inspector (Labour), Assistant Auditor, Accountant Assistant Superintendent / Head Clerk /Assistant In-charge/Clerk-in-charge/Assistant Accountant Auditor/Senior Assistant And allied posts, Auditor/Inspector/ Evaluation Assistant, Inspector of Shops & Establishment, Labour Welfare Supervisor, Assistant Inspector Weights and Measures/Block Level Extension Officer/ Assistant Gram Ekai Organisation etc.	Level-4 (Rs.25500-81100/-) Non Functional Selection Grade: Level-6 (Rs.35400-112400/-) on completion of 5 years regular service in the grade subject to the condition that the total number in the grade will be restricted to 30% of the sanction strength.	4202
4.	Grade-IV (Central Civil Service, Ministerial, Non-Gazetted, Group-C)	Reader, Sub-Inspector (Excise), Junior Auditor, Panchayat Secretary, Junior Assistant/Steno typists and all allied posts, Sub-Inspector/ Organiser/ Junior Auditor, Salesman etc.	Level-2 (Rs.19900-63200/-)	4245

*Subject to variation dependent upon workload.

Annexure-I

Department wise details of sanctioned posts in various grades created in the departments under Govt. of NCT of Delhi.

S.NO.	NAME OF THE DEPARTMENT	SANCTIONED STRENGTH IN VARIOUS GRADES			
		GRADE-I	GRADE-II	GRADE-III	GRADE-IV
1.	A&U TIBBIA COLLEGE AND HOSPITAL	1	2	2	1
2.	ARUNA ASAF ALI HOSPITAL	0	1	6	12
3.	ACHARYA BIKSHU HOSPITAL	1	1	2	5
4.	ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT	1	0	0	2
5.	AMBEDKER INSTITUTE OF TECHNOLOGY	1	2	6	9
6.	ARCHAEOLOGY	0	1	2	2
7.	ARCHIVES	0	1	3	3
8.	ART CULTURE & LANGUAGE	0	0	0	0
9.	ATTER SAIN HOSPITAL	0	0	1	2
10.	AUDIT	1	27	47	17
11.	BABU JAGJIVAN RAM HOSPITAL	1	1	6	10
12.	BHAGWAN MAHAVIR HOSPITAL	1	1	3	6
13.	B.R. SUR (HOMEO)MEDICAL COLLEGE/HOSPITAL	1	1	4	5
14.	BABA SAHEB AMBEDKAR HOSPITAL & COLLEGE	4	3	16	20
15.	CH. BRAHM PRAKASH GOVT. ENGINEERING COLLEGE, JAFFARPUR	1	2	6	11
16.	CHIEF ELECTORAL OFFICE	80	72	96	102
17.	FOREST & WILD LIFE	4	3	11	11
18.	CHIT FUND	2	1	4	2
19.	CENTRAL JAIL	15	28	57	79
20.	CHACHA NEHRU BAL CHIKITSALAYA	1	2	6	5
21.	COLLEGE OF ARTS	1	3	6	7
22.	COMMISSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES	1	0	0	1
23.	CO-OPERATIVE SOCIETIES	3	39	73	142
24.	DADA DEV MATRI AVUM SHISHU CHIKITSALAYA/ MOTHER AND CHILD HOSPITAL, NASIRPUR	1	2	2	3
25.	DELHI AGRICULTURAL MARKETING BOARD	1	1	12	6
26.	DEEP CHAND BANDHU HOSPITAL	1	1	3	5
27.	DIRECTORATE OF CIVIL DEFENCE	1	2	13	9
28.	DIVISIONAL COMMISSIONER OFFICE	83	109	231	281
29.	DEEN DAYAL UPADHAYAY HOSPITAL	3	3	22	23
30.	DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS	1	1	5	11
31.	DEVELOPMENT	3	6	34	34
32.	DELHI COMMISSION FOR WOMAN	1	0	0	6

33.	DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARI	1	0	0	0
34.	DELHI FIRE SERVICE	0	2	5	31
35.	DIRECTORATE OF FAMILY WELFARE	1	1	9	17
36.	DR. HEDGEWAR AROGYA SANSTHAN	1	1	3	7
37.	DIRECTORATE OF HOME GUARD	1	1	10	13
38.	DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES	1	21	52	59
39.	DIRECTORATE OF INFORMATION AND PUBLICITY	1	4	1	15
40.	DIRECTORATE OF AYUSH	0	3	4	0
41.	DELHI INSTITUTE OF PHARMACY, SCIENCE AND RESEARCH	2	1	3	3
42.	DELHI LOTTERIES	0	0	0	8
43.	DIRECTORATE OF INDIAN SYSTEM OF MEDICINES & HOMEOPATHY	1	0	0	15
44.	DELHI MINORITY COMMISSION	0	2	1	2
45.	DIRECTORATE OF VIGILANCE	2	8	2	10
46.	DRUGS CONTROL	0	4	13	12
47.	DIRECTORATE OF SC/ST	2	6	10	13
48.	COMMISSION FOR SC/ST/OBC/MIN.	1	0	0	0
49.	DELHI SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD	10	17	20	30
50.	DIRECTORATE OF SOCIAL WELFARE	4	7	72	59
51.	DEPARTEMENT OF TRADE & TAXES	149	129	221	299
52.	DIRECTORATE OF EDUCATION	945	912	1408	755
53.	EMPLOYMENT	24	12	29	132
54.	DEPARTMENT OF ENVIRONMENT	1	2	3	2
55.	ENVIRONMENT (HORTICULTURE)	0	1	4	0
56.	EXCISE	5	37	54	28
57.	FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS	84	324	133	281
58.	DEPARTMENT OF FOOD SAFETY	1	3	26	13
59.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	2	4	7	17
60.	GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT	25	78	72	121
61.	GB PANT ENGINEERING COLLEGE, OKHLA	1	2	6	11
62.	GOVIND BALLABH PANT HOSPITAL	1	5	29	44
63.	GURU GOVIND SINGH GOVERNMENT HOSPITAL	1	1	4	7
64.	GURU NANAK EYE CENTRE	1	1	8	17
65.	GURU TEG BAHADUR HOSPITAL	4	7	53	58
66.	DIRECTORATE OF GURUDWARA ELECTION	0	1	3	4
67.	HEALTH & FAMILY WELFARE	6	11	21	30
68.	HEALTH CENTRE-CUM-MATERNITY HOSPITAL	1	1	1	2
69.	DIRECTORATE OF HIGHER	1	6	6	4

	EDUCATION				
70.	IRRIGATION & FLOOD CONTROL	5	15	74	99
71.	INDUSTRIES	19	69	53	51
72.	INFORMATION TECHNOLOGY	1	3	1	2
73.	JAG PARVESH CHANDRA HOSPITAL	1	1	3	6
74.	LAND & BUILDING	6	24	24	52
75.	LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS	2	4	6	10
76.	LABOUR DEPARTMENT	5	46	52	65
77.	LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT	1	8	12	19
78.	LAL BAHADUR SHASTRI HOSPITAL	1	1	7	12
79.	LT. GOVERNOR'S SECRETARIAT	10	17	13	10
80.	LOK NAYAK HOSPITAL	8	7	42	99
81.	LOKAYUKTA	1	2	2	3
82.	MAULANA AZAD MEDICAL COLLEGE	1	7	37	48
83.	MAHARISHI BALMIKI HOSPITAL	1	1	5	8
84.	MADAN MOHAN MALVIYA HOSPITAL	1	1	3	10
85.	NATIONAL CADET CORPS	1	15	71	69
86.	N.C. JOSHI HOSPITAL	1	1	4	2
87.	NEHRU (HOMEO)MEDICAL COLLEGE/HOSPITAL	0	1	5	7
88.	OBC COMMISSION	0	0	0	1
89.	DIRECTORATE OF PANCHAYAT	2	10	10	0
90.	PRINCIPAL ACCOUNT OFFICE	0	95	387	98
91.	PUBLIC GRIEVANCE COMMISSION	1	1	6	3
92.	PLANNING DEPARTMENT	0	3	3	17
93.	POWER DEPARTMENT	0	2	3	2
94.	PROHIBITION	0	0	2	2
95.	PROSECUTION	1	2	2	17
96.	RURAL DEVELOPMENT	1	1	3	4
97.	REHABILITATION	0	4	23	15
98.	RAO TULA RAM HOSPITAL	1	1	5	9
99.	STATE ELECTION COMMISSION	1	0	0	0
100.	SANJAY GANDHI MEMORIAL HOSPITAL	1	3	10	19
101.	SATYAWADI RAJA HARISHCHANDRA HOSPITAL	1	1	3	5
102.	SUSHRUTA TRAUMA CENTRRE	0	0	2	0
103.	SUPER SPECIALITY HOSPITAL	0	0	0	0
104.	SARDAR VALLABH BHAI PATEL HOSPITAL	1	1	2	3
105.	TRANSPORT	11	21	68	184
106.	TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION	27	8	149	181
107.	TOURISM DEPARTMENT	1	1	1	1
108.	URBAN DEVELOPMENT (DIRECTORATE OF LOCAL BODIES)	6	5	4	0

109.	URBAN DEVELOPMENT	2	30	15	24
110.	UNION TERRITORY CIVIL SERVICES	2	2	8	8
111.	WOMEN & CHILD DEVELOPMENT	5	7	72	114
112.	WEIGHT & MEASUREMENT	12	13	38	15
	TOTAL	1636	2365	4202	4245

SCHEDULE-II

[See Rule 7]

The method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service in the immediate lower Grade or lower Grades for appointment on promotion of officers to Duty Posts in Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service.

S. No.	Grade	Method of Recruitment	Field of Selection
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Grade-I	100% by promotion on selection basis	From the Officers of the Service in Grade-II in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.
2.	Grade-II	(i) 33 % by Direct Recruitment (ii) 52% by promotion on Selection basis (iii) 15% by Limited Departmental Competitive Exam (LDCE)	(i) Direct Recruitment- Essential Qualification: Bachelor Degree from a recognized University/Institute. Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. B. Age limit: Between 21 -30 years (relaxable for govt servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by central govt.) Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB)/ Competent Authority. (ii) Promotion- From officers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenue department of GNCT of Delhi in Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100/-) with Eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. (iii) Limited Departmental Competitive Exam (LDCE): Officers in Grade-III of the Service and Trained Kanungos of Revenue department of GNCT of Delhi in Level-4 (Rs.25500-81100/-) of the Pay Matrix with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis, shall be eligible to appear in the LDCE for appointment to the post in Grade-II.

3.	Grade-III	(i) 85% by Promotion on selection basis (ii) 15% by Limited Departmental Competitive Exam (LDCE)	(i) Promotion: From officers in Grade-IV of the Service in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-) with Six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; promotion on selection basis. (ii) Limited Departmental Competitive Exam (LDCE): Officers in Grade-IV of the Service in level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-) with three years' service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis shall be eligible to appear in the LDCE for appointment to the post in Grade-III.
4.	Grade-IV	(i) 85% by Direct Recruitment (ii) 15% by promotion on Selection basis	(i) Direct Recruitment: A. Educational and Other qualifications- Essential Qualification: (i) 12th pass from a recognized Board/ Institution. (ii) A typing Speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m in Hindi on Computer Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/DSSSB, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Age Limit: Between 18-27 years (relaxable for govt. servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issued by central govt.) Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB)/ Competent Authority. (ii) Promotion: From Group C employees of Government of NCT of Delhi in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and possessing the qualification of Matric/12th pass or equivalent from a recognized Board or Institutions. Note-1:The candidates selected by this method shall be required to pass a typing Speed of 35 w.p.m in English OR 30 w.p.m in Hindi on Computer (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10,500 K.D.P.H/9000 K.D.P.H on an average of 05 key depressions for each word) unless exempted by the Lt. Governor of Delhi.

			Note-2:The requirement of passing typewriting test is relaxable for physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the aforesaid post and who are certified as being unable to type on account of physical disability by the prescribed Medical Board in accordance with the prevailing instructions of Government of India issued from time to time.

Note I.- An open competitive examination for direct recruitment to the post of Grade-II and Grade-IV of Service shall be conducted by the DSSSB at such interval as the Chief Secretary may determine from time to time. The dates on which and the places at which the examination is to be held shall be fixed by DSSSB in this regard.

Note II.- The crucial date for determining the eligibility of an officer for promotion shall be the 1st January of the year in which the vacancy has occurred.

Note III.- No candidate shall be appointed to the post of Grade-II and Grade-IV of the Service unless he/she is declared fit, after such medical examination as the Government may prescribe, and to be free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of duties of the Service, unless he/she has already been examined by the Competent Medical Authority at the time of his/her initial appointment and declared fit.

Note IV.- The inclusion of a candidate's name in the approved lists shall confer no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as he may consider necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the respective grades and an actual offer of appointment is made to the candidate.

Note V.- Subject to the provisions of these rules, the candidates included in the approved lists for Grade-II and Grade-IV shall be appointed to these grades in the order of merit.

Note VI.- The Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) shall be conducted by DSSSB or any other recruiting agency approved by the government in pursuance of the notification issued in this regard.

Note VII.- The dates, place and the manner for the Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) referred to in these rules shall be such as may be determined by the DSSSB or any recruiting agency approved by the government

SCHEDULE-III

[See Rule 7(3)]

Departmental Committees for considering the cases of Promotion or Confirmation to Duty Posts in Government of National Capital Territory of Delhi Subordinate Service

S. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee for considering promotion/ confirmation
(1)	(2)	(3)
1.	Grade-I	Departmental Promotion Committee (1) Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary (Services)– Chairperson (2) Development Commissioner– Member (3)Special Secretary (Finance)- Member
2.	Grade-II	Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee (1) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary (PWD)– Chairperson (2) Special Secretary (Services)- Member (3) Special Secretary (Home)- Member
3.	Grade-III	Departmental Promotion Committee

		(1) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary (UD)- Chairperson (2) Additional Secretary/Joint Secretary / Deputy Secretary (Services)- Member (3) Special Secretary /Additional Secretary / Joint Secretary /Deputy Secretary (PWD)- Member
4.	Grade-IV	Departmental Promotion Committee and Departmental Confirmation Committee (1) Secretary (AR)- Chairperson (2) Additional Secretary /Joint Secretary / Deputy Secretary (Services)- Member (3) Special Secretary /Additional Secretary / Joint Secretary /Deputy Secretary (PWD)- Member

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

NAVEEN S L, Special Secy. (Services)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA